उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम.............................. मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक ..13.5.22..
आज पत्रावली पेश हुई। वकील..वादी..
पक्ष उपस्थित। पी..ओ. साहब ~~बाहर पधारे हैं~~ का (स्थाना. हो चुका है)
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ..07.06.22..
को पेश हो।

रीडर

दिनांक ..07.06.22..
आज पत्रावली पेश हुई। वकील..वादी..
पक्ष उपस्थित। पी..ओ. साहब ~~बाहर पधारे हैं~~ का (स्थाना० हो चुका है)
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ..18.7.22..
को पेश हो।

रीडर

दिनांक 18.07.2022

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित।

वादीगण की ओर से दिनांक 28.4.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14 जा.दी. प्रस्तुत करते हुये प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने हेतु निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेज है जिनको रिकार्ड पर लिया आना उचित समझते है इसके अलावा उक्त दस्तावेज निर्णय करने में भी सहायक होगे।

अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14जा दी.स्वीकार किया जाकर संबंधित दस्तावेजों को रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये जाते हे।

वादीगण कीं ओर से यह वाद पत्र नाम की दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया है जिससे प्रतिवादीगण का हित प्रभावित नहीं हो रहा है इसलिये प्रतिवादीगण की तलबी करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.

है इसलिये प्रतिवादीगण की तलबी बन्द की जाती है। वादीगण अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। वादीगण के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी।

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 292/0.28, 296/0.34, 297/2/0.26, 321/0.22 कुल किता4 रक बा 1.10 हैक्टयर में वादी संख्या 1 का 1/8 व वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, आराजी खसरा नम्बर 295/0.30, 298/0.20, 299/0.30 कुल किता 3 रकबा 0.80 हैक्टयर में वादी संख्या 1 का 1/3 व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 290 रकबा 0.04 हैक्टयर में वादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/7 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 0.01 है. में वादी संख्या 1 का 1/3 व वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा निहित है। वादी संख्या 1 अमरसिंह को गांव में अमरसिंह के अलावा निमरया भी बोलते है तथा इसी प्रकार वादी संख्या 2 को भगवान सहाय के अलावा भग्गा के नाम से भी पुकारते है। अमरसिंह व निमरया एक ही व्यक्ति है तथा इसी प्रकार भगवान सहाय व भग्गा एक ही व्यक्ति है। वादीगण के पहचान पत्र आधार कार्ड राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में वादीगण के सही नाम अमरसिह व भगवान सहाय अंकित है। वादीगण अनपढ व सीधे सादे आदमी है जो कि मात्र हस्ताक्षर करना जानते है। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.	नम्बर व तारीख *अहकाम जो इस* हुक्म की तामील में जारी हुए

295/0.30, 298/0.20, 299/0.30 कुल किता 3 रकबा 0.80 हैक्टयर को जरिये विक्रय पत्र क्रय किया किन्तु रजिस्टी लिखने वाले ने गांव के बोलता नाम भग्गा व निमराया के नाम से ही रजिस्ट्री में लिख दिया जिसके आधार पर ही जमाबंदी में नाम आ गया। वादीगण दिनांक 21.07.2020 को पटवारी हल्का के पास के.सी.सी. बनवाने गये तो पता चला कि वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो रहा है। वादीगण ने तहसीलदार महवा से दुरूस्ती करने को निवेदन किया तो तहसीलदार महवा ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया तथा दावा प्रस्तुत करने के लिये कहा इसलिये यह दावा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत होने के कारण वादीगण के अधिकारों का हनन हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के बने रहने से वादीगण को अकथनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी। इसलिये वादीगण को यह दावा प्रस्तुत करना जरूरी हुआ है। वाद पत्र अन्दर मियाद है तथा वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त हे।

वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का नाम निमरया के स्थान पर अमरसिंह व भग्गा के स्थान पर भगवान सहाय दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .....बनाम..... मु. सं.

हमने वादीगण के विद्वान वकील की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार वादगस्त आराजीयात की खातेदारी में अन्य खातेदारों के साथ निमरया पुत्र परसादी व भग्गा पुत्र परसादी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी महवा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इससे यह तो स्पष्ट होता है कि निमरया व भग्गा वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने का उल्लेख किया है। वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व रिकार्ड को देखते है तो पाते है कि जमाबंदी संवत 2039–42 के अनुसार खसरा नम्बर 72 रकबा 3 बीघा 4 विस्वा की खातेदारी परसादी पुत्र मन्ना जोहरया पुत्र छीतरया बिरज्या पुत्र लिखमा जाति कुम्हार नि. ग्राम महवा के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 70 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा जगनलाल पुत्र गणेश जाति बैरवा, परसादी पुत्र मन्ना, पांच्या पुत्र बुद्धा, कुन्दन पुत्र सूस्या कुम्हार, परमा पुत्र तुलसीराम कौम माली भगवान सहाय पुत्र लोहडया जाति कुम्हार निवासी महवा के नाम खातेदारी में दर्ज है। खातेदार परसादी पुत्र मन्ना का देहान्त होने पर विरासत का नामान्तरकण संख्या 114 दिनांक 18.01.1983 को स्वीकार किया गया जिसमें अंकित किया है कि परसादी कुम्हार फौत हो गया है उसके हिस्से का नामान्तरकरण वारिसों के नाम दर्ज कर पेश है उक्त नामा. के कालम संख्या 11 में अंकित किया वारिसों में निभरया व भग्गा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ..... बनाम ..... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पि.परसादी कुम्हार दर्ज किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि खातेदार परसादी का देहान्त होने पर उनकी विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के गांव में बोलता नाम निभरया व भग्गा के नाम से खोला जाकर स्वीकार किया गया है। जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, निर्वाचक नामावली का पहचान पत्र, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक में अमरसिंह पुत्र परसादी व भगवान सहाय पुत्र परसादी दर्ज है। तहसीलदार महवा द्वारा भी वाद पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया है इससे यह प्रतीत होता है कि वे अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण के वाद पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 295/0.30, 298/0.20, 299/0.30 कुल किता 3 रकबा 0.80 हैक्टयर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया है जिसके संबंध में अंकित किया है कि रजिस्ट्री लिखने वाले ने वादीगण का नाम गांव का बोलता नाम ही अंकित कर दिया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि वादीगण का गांव में बोलता नाम क्रमशः निभरया व भग्गा है तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तरकण खोलते समय बोलता नाम से ही खोल दिया है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम शहदपुर तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 292/0.28,

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज .....बनाम..... मु. सं.

296/0.34, 297/2/0.26, 321/0.22 कुल किता 4 रकबा 1.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 295/0.30, 298/0.20, 299/0.30 कुल किता 3 रकबा 0.80 हैक्टयर ,खसरा नम्बर 290 रकबा 0.04 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 294 रकबा 0.01हैक्टयर में दर्ज खातेदार निमरया पुत्र परसादी के स्थान पर अमरसिंह पुत्र परसादी व भग्गा पुत्र परसादी के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र परसादी दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। वादीगण इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज़ करवाने के अधिकारी होगे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तदनुसार डिक्री जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महुवा जिला दौसा